



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान फोन नं. 8764848533, Email ID:-co.plan.nhm@gmail.com

क्रमांक: एफ-13(50)(1)/एनएचएम/योजना/482

दिनांक:- 26/09/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त।

विषय :- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नवगठित जिला प्रबंधन इकाई कार्मिकों के फाउण्डेशन कोर्स प्रशिक्षण बाबत।

संदर्भ :- परिपत्र एफ 13 (50)(1)/एन.एच.एम./योजना/476 दिनांक 30.08.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिये नवगठित जिला प्रबंधन इकाई की तीनों ईकाइयों में कार्यरत प्रबंधकीय कार्मिकों, जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला समन्वयकों का पांच दिवसीय आवासीय फाउण्डेशन कोर्स प्रशिक्षण व समीक्षा बैठक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर में निम्नानुसार आयोजित किया जा रहा है:-

क्र.सं.	प्रतिभागी	दिनांक	जिले
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला समन्वयक	03 अक्टूबर (मंगलवार) से 07 अक्टूबर 2017	जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला समन्वयक	09 अक्टूबर (सोमवार) से 13 अक्टूबर 2017	कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जयपुर I, II, अलवर, दौसा, झुन्झुनू, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये सम्बंधित प्रबंधकीय कार्मिकों को कार्य मुक्त कर मय आधार कार्ड के साथ प्रशिक्षण संस्थान में नियत प्रातः 09:00 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करें।

नोट:- 1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु किसी भी प्रकार की शिथिलता अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्वनुमति बिना नहीं दी जावेगी।

2. टेक्सी /स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

3. प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है।

शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं  
मिशन निदेशक एन.एच.एम.


क्रमांक: एफ-13(50)(1)/एनएचएम/योजना/482

दिनांक:- 26/09/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक -एनएचएम।

3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक-एनएचएम।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम।
5. परियोजना निदेशक-एनएचएम।
6. निदेशक (जन.स्वास्थ्य)।
7. निदेशक-आरसीएच।
8. निदेशक (वित्त)-एनएचएम।
9. निदेशक सिफू को भेजकर लेख है कि अनुपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एक दिवस में भिजवायें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक-एनएचएम।
11. राज्य नोडल अधिकारी-एनवीबीडीसीपी/आईडीएसपी/एनपीसीबी/एनएमएचपी/एनपीएचसीई/एनटीसीपी/एनपीसीडीसीएस/आरएनटीसीपी/एनपीपीसीडी/एनओएचपी/एनपीपीसीएफ/एनआईडीडीसीपी/एनएलईपी/वर्टिकल प्रोग्राम / मानव संसाधन-सम्बन्धित प्रबंधकीय कार्मिकों को आवश्यक रूप से सूचित करे।
12. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन।
13. राज्य सलाहकार, (योजना)/प्रशिक्षण एनएचएम।
14. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) समस्त।
15. सम्बन्धित कार्मिक उपरोक्तानुसार नियंत्रण अधिकारी से कार्यमुक्त होकर उसकी प्रति, आधार कार्ड व अपनी अपनी यूनिट की 2017-18 की भौतिक व वित्तीय प्रगति के साथ उपस्थित हों।
16. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम सभी सम्बन्धित को ई-मेल करने व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

  
 शासन संयुक्त सचिव  
 एनएचएम